कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–465/FP/UK/ROAD/9887/2015 :देहरादूनःदिनांकः 06 अगस्त, 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त,
मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गढ़वालगाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.681 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 644/X-4-15/1(378)/2015 दिनांक 31–07–2015 (प्रति संलग्न)

महोदय,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणं पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.362 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि आंकलित कर जमा की जानी है।

2. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि, जिसका क्षेत्रफल 5.362 हे0 है, को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किया जायेगा व इस भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इसे छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गई भूमि का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय को अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराया जाना है।

3. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस–पास/मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि आंकलित कर जमा की जानी है।

4. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऑनलाईन भरे गये प्रपत्र भाग–2 के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र इको क्लास–V के अन्तर्गत, धनत्व 0.1 है। तदनुसार भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि आंकलित कर जमा की जानी है।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किया जाय। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **FC Amendment Rules 2014** के बिन्दु–8, उपबिन्दु– क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण आदि की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित करेगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेगें।

6. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना है कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी।

7. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदो में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 03710010101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा कराया जाना है। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड़ शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कारपोरेशन बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मय UTR नं0 दिनांक सहित भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है, ताकि इसकी सूचना तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जा सके।

8. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है।

9. शर्त संख्या–7 के अनुपालन मे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/निर्धारित प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना है।

10. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

11. शर्त संख्या–9 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपरोक्त शर्तो के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु शासन को लिखा जायेगा।

12. यदि मलवा निस्तारण वन भूमि पर प्रस्तावित हो तो, मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी की मांग के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वांछित धनराशि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः प्रयोक्ता एजेन्सी से राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें;

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
वन संरक्षक

संख्या 465/FP/UK/ROAD/9887/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी। (संलग्न–यथोपरि)
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी। (संलग्न–यथोपरि)
4. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहत्रधारा रोड, देहरादून। (संलग्न–यथोपरि)
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी। (संलग्न–यथोपरि)

(मनोज चन्द्रन)
वन संरक्षक